

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक: एफ.5(1) आ.प्र.एवं सहा./गौशाला अनुदान/2014/6992-7029 जयपुर, दिनांक: 2-06-15
जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
अजमेर, अलवर, बारां, बाड़मेर, भरतपुर,
भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू,
दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर,
जालौर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली,
कोटा, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर,
सिरोही, टोंक एवं उदयपुर।

विषय:- अभाव सम्वत् 2071 में रबी फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर
अभावग्रस्त घोषित जिलों की अभावग्रस्त एवं गैर-अभावग्रस्त क्षेत्रों
की पंजीकृत गौशालाओं की अनुदान स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक:एफ.5(1) आ.प्र.एवं सहा./गौशाला अनुदान /
2014/4810-48 दिनांक: 16.4.2015 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि विभाग द्वारा
दिनांक 16.4.2015 को अभाव सम्वत् 2071 में रबी फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त
घोषित जिलों की अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान स्वीकृति के दिशा-निर्देश
जारी किए गए थे।

राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब अभाव सम्वत् 2071 में रबी
फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित जिलों की अभावग्रस्त एवं गैर-अभावग्रस्त
क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के बड़े-छोटे पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।
इस सम्बन्ध में विभागीय पत्रांक:एफ.5(1) आ.प्र.एवं सहा./गौशाला अनुदान / 2014/4810-48
दिनांक: 16.4.2015 द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए आवश्यकतानुसार
विभाग को प्रस्ताव भिजवाया जा सकता है।

भवदीय,

शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीया मुख्य मंत्री महोदया, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता, राज. जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, पशु पालन एवं प्रबंध निदेशक, आर.सी.डी.एफ., जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
8. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
9. प्रोग्रामर, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
10. गार्ड फाईल।

संयुक्त शासन सचिव